मदनलाल बनाम ओमप्रकाश

26-11-19 अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। अपीलांट की तरफ से ही जयचन्दलाल सारस्वत ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली अभिभाषक अपीलांट के प्रार्थना पत्र पेश हुई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि चूंकि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है। अतः राजीनामें के अनुसरण में डिक्री जारी की जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति पेश नहीं करते हुए प्रकरण में राजीनामें के अनुसार डिक्री जारी करने के कथन का समर्थन किया।

प्रकरण में चूंकि अपीलांट/रेस्पोडेन्ट दोनों पक्षों द्वारा राजनामें के अनुसरण में डिक्री जारी किये जाने का कथन करते हुए पक्षकारों की तस्दीक की गई है। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि वाके रोही मौजा बेणीसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ के खेत खसरा नम्बर 453 तादादी 11.92 हेक्टर जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 641/453 व खसरा नम्बर 642/453 पैमूद हुए है, के पूर्व का हिस्सा अपीलांट मदनलाल को व पश्चिम का हिस्सा रेस्पोडेन्ट ओमप्रकाश को देना तय किया है। लिहाजा प्रकरण राजीनामें के अनुसरण में निष्पादित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रस्तुत राजीनामें को पक्षकारों की उपस्थिति में तस्दीक करते हुए वादग्रस्त भूमि के संबंध में विभाजन की डिक्री पारित करें। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत मूल राजीनामें की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(रामरतन सोंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2019.12.04 15:32:15 IST
Reason: SelfAttested